न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या – 09/2018

जी.सी.एम.एस नम्बर – 2018/00022

प्रार्थी / प्रार्थीगणः– बनाम **अप्रार्थी / अप्रार्थीगणः–**

प्रार्थी / प्रार्थीगणः–

1. शांतिलाल पुत्र स्वर्गीय श्री मोहनलाल जाति रावल ब्राहम्ण,उम्र 72 वर्ष निवासी ग्राम – धणी, तहसील – बाली, जिला पाली

बनाम

अप्रार्थी / अप्रार्थीगणः–

1. बाबुलाल पुत्र स्वर्गीय श्री मोहनलाल उम्र 60 वर्ष जाति रावल ब्राहम्ण, निवासी ग्राम – धणी, तहसील – बाली, जिला–पाली राजस्थान
2. उगमादेवी पुत्री स्वर्गीय श्री मोहनलाल पत्नि पुरूषोतमजी, उम्र 62 वर्ष जाति रावल ब्राहम्ण, निवासी ग्राम – लाटाड़ा, तहसील -- बाली, जिला–पाली राजस्थान
3. शांतिदेवी पुत्री स्वर्गीय श्री मोहनलाल पत्नि चम्पालालजी, जाति रावल ब्राहम्ण, निवासी ग्राम – कलालो का बास, घोसीवाड़ा, तहसील -- पाली, जिला–पाली राजस्थान
4. पुरूपोषम पुत्र श्री बंशीलालजी जाति रावल ब्राहम्ण, उम्र 52 वर्ष, निवासी ग्राम – लाटाड़ा, तहसील – बाली, जिला–पाली राजस्थान
5. पकाराम पुत्र श्री जीवारामजी जाति जणवा चौधरी, उम्र 44 वर्ष, निवासी ग्राम – सादलवा, तहसील – बाली, जिला–पाली राजस्थान
6. भूमिधारी तहसीलदार, बाली जिला पाली राजस्थान

उपस्थितिः–

1. श्री जुंझाराम परमार, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स संख्या 6

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

–:आदेशः– दिनांक 02-09-2021

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र धारा 82 राजसस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की कब्जा व काश्तसुदा संयुक्त कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम धणी, तहसील बाली जिला पाली में खसरा नंबर 639 रकबा 5.32 हैक्टर, खसरा नंबर 940 रकबा 1.44 हैक्टर, खसरा नंबर 941 रकबा 2.15 हैक्टर, खसरा नंबर 942 रकबा 2.20 हैक्टर, खसरा नंबर 943 रकबा 1.13 हैक्टर, खसरा नंबर 944 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नंबर 1080 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नंबर 1082 रकबा 1.07 हैक्टर, खसरा नंबर 1083 रकबा

अति जिला कलक्टर (सीलिंग) पाली (राज)

0.36 हैक्टर, किस्म नहरी अव्वल कुल रकबा 14.46 हैक्टर सालावा राजस्व लगान 303.66 रूपये स्थित है जो भूमि शुरू से डोली (बनाम) की रही है जिसका इन्द्राज राजस्व रेकर्ड संवत् 2009 एवं 2018 से 2021 में दर्ज है तथा जमांबदी संवत् 2022 से 2025 में दर्ज है जिसके पुराना खसरा नंबर 735, 736, 737, 649, 650, 793, 340, 343, 344, 345, 346 रहे हैं जो भूमि बैरा ब्राहम्णों वालों के नाम से जाना जाता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत उक्त भूमि जो डोली की भूमि है जिसका हस्तातरण करने का अधिकार अप्रार्थीगण या अन्य किसी व्यक्ति को नहीं है इसके उपरान्त भी विधि विरूद्ध तरीके से अप्रार्थीगण द्वारा हस्तान्तरण डीड तैयार कर राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज करवा दिये गये है जबकि डोली की भूमि का हस्तान्तरण कानूनन् वर्जित है तथा राजस्व रेकर्ड में की गई एंट्री भी वर्जित होते हुए भी अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि का बेचाण हस्तान्तरण किया जाकर राजस्व रेकर्ड से डोली का इन्द्राज हटवा दिया गया है जो काबिल खारिज के है अप्रार्थी 6 तहसीलदार बाली को मुतनाजा आराजी डोली की होते हुए भी पूर्ण रूप से जानकारी होते हुए भी कानूनी प्रावधानो की अवहेलना करके राजस्व रेकर्ड में विधि विरूद्ध तरीके से किये गये हस्तान्तरण डीडों के आधार पर डोली का नाम हटाकर अप्रार्थीगण का नाम नामान्तरणकरण संख्या 1010 स्वीकार विधि के प्रावधानों की अवहेलना करके किये गये हैं जो नामान्तरकरण खारिज किये जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा राजस्व रेकर्ड में डोली का नाम दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर डोली के स्थान पर म्युटेशन संख्या 1003 एवं 1010 के जरिये किया गया गलत इन्द्राज हटवाया जाकर तथा म्यूटेशन संख्या 1003 एवं 1010 खारिज फरमाया जावे तथा राजस्व रेकर्ड में मुतनाजा आराजी डोली के नाम दर्ज करवाने का आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. अप्रार्थीगण संख्या 1 लगाय 5 बावजुद नोटिस तामिल के दिनांक 04.10.2018 को न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

4. बहस सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये बहस के द्वौरान निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने का आदेश हो चुका है तथा प्रार्थना पत्र में जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में प्रार्थना–पत्र का प्रतिकार नहीं होने से प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जावें तथा प्रार्थी की कब्जा व काश्तसुदा संयुक्त कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम धणी, तहसील बाली जिला पाली में खसरा नंबर 939 रकबा 5.32 हैक्टर, खसरा नंबर 940 रकबा 1.44 हैक्टर, खसरा नंबर 941 रकबा 2.15 हैक्टर, खसरा नंबर 942 रकबा 2.20 हैक्टर, खसरा नंबर 943 रकबा 1.13 हैक्टर, खसरा नंबर 944 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नंबर 1080 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नंबर 1082 रकबा 1.07 हैक्टर, खसरा नंबर 1083 रकबा 0.36 हैक्टर, किस्म नहरी अव्वल कुल रकबा 14.46 हैक्टर सालावा राजस्व लगान 303.66 रूपयें स्थित है उक्त कृषि भूमि शुरू से डोली (बनाम) की रही है जिसका इन्द्राज राजस्व रेकर्ड संवत् 2009 एवं 2018 से 2021 में दर्ज है तथा जमांबदी संवत् 2022 से 2025 में दर्ज है जिसके पुराना खसरा नंबर 735, 736, 737, 649, 650, 793, 340, 343, 344, 345, 346 रहे हैं जो भूमि बैरा ब्राहम्णों वालों के नाम से जाना जाता है।

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत उक्त भूमि जो डोली की भूमि है जिसका हस्तातरण करने का अधिकार अप्रार्थीगण या अन्य किसी व्यक्ति को नही है इसके उपरान्त भी विधि विरूद्ध तरीके से अप्रार्थीगण द्वारा हस्तान्तरण डीड तैयार कर राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज करवा दिये गये है जबकि डोली की भूमि का हस्तान्तरण कानूनन् वर्जित है तथा राजस्व रेकर्ड में की गई एंट्री भी वर्जित होते हुए भी अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि का बेचाण हस्तान्तरण किया जाकर राजस्व रेकर्ड से डोली का इन्द्राज हटवा दिया गया है जो काबिल खारिज के है इस संबंध में शासन, उप सचिव, राजस्व(ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान, जयपुर के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.2(4) राज./4/90/37 दिनांक 13–12–91 प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी 6 तहसीलदार बाली को मुतनाजा आराजी डोली की होते हुए भी पूर्ण रूप से जानकारी होते हुए भी कानूनी प्रावधानो की अवहेलना करके राजस्व रेकर्ड में विधि विरूद्ध तरीके से किये गये हस्तान्तरण डीडों के आधार पर डोली का नाम हटाकर अप्रार्थीगण का नाम नामान्तरणकरण संख्या 1010 स्वीकार विधि के प्रावधानों की अवहेलना करके किये गये हैं जो नामान्तरकरण खारिज किये जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा राजस्व रेकर्ड में डोली का नाम दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर डोली के स्थान पर म्युटेशन संख्या 1003 एवं 1010 के जरिये किया गया गलत इन्द्राज हटवाया जाकर तथा म्यूटेशन संख्या 1003 एवं 1010 खारिज फरमाया जावे तथा राजस्व रेकर्ड में मुतनाजा आराजी डोली के नाम दर्ज करवाने का आदेश प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 6 ने प्रार्थी बहस का समर्थन किया तथा उक्त दोनो नामान्तरकरण को निरस्त करने हेतू निवेदन किया।

7. बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजात का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। मौजा ग्राम धणी तहसील बाली के खसरा नंबर 639 रकबा 3.32 हैक्टर, खसरा नंबर 940 रकबा 1.44 हैक्टर, खसरा नंबर 941 रकबा 2.15 हैक्टर, खसरा नंबर 942 रकबा 2.20 हैक्टर, खसरा नंबर 943 रकबा 1.13 हैक्टर, खसरा नंबर 944 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नंबर 1080 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नंबर 1082 रकबा 1.07 हैक्टर, खसरा नंबर 1083 रकबा 0.36 हैक्टर, किस्म नहरी अव्वल कुल रकबा 14.46 हैक्टर सालावा राजस्व लगान 303.66 रूपयें स्थित है जो भूमि शुरू से डोली (बनाम) की रही है जिसका इन्द्राज राजस्व रेकर्ड संवत् 2009 एवं 2018 से 2021 में भी उक्त कृषि भूमि डोली (बनाम) दर्ज है तथा उक्त कृषि भूमि डोली के होते हुए भी गलत इन्द्राज के आधार पर उक्त भूमि का हस्तांतरण डीड तहसीलदार बाली द्वारा पंजीबद्ध किये गये है और उक्त विधि विरूद्ध तरीके से किये गये पंजीकृत दस्तेजात के आधार पर ग्राम पंचायत धणी द्वारा म्यूटेशन संख्या 1003 तथा म्यूटेशन संख्या 1010 स्वीकृत किये गये है जो नामांतरकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरित डोली की भूमि हुये हुये भी विधि विरूद्ध तरीके से इन्द्राज किये गये है जिसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा अलग से परिपत्र क्रमांक प.2(4)राज/4/90/37 दिनांक 13.12.91 जारी किया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से यह निर्देश जारी किये गये है कि डोली की भूमि में मंदिर के पुजारियों के नाम गलत तौर पर दर्ज किये गये यानि पुजारियों द्वारा अवैध रूप से अपने नाम दर्ज करवा दि है और उक्त अवैध अंकन के आधार पर आगे से आगे भूमि का हस्तांतरण डीड के जरिये राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज विधि विरूद्ध तरीके से किया गया है। पुजारियों के नाम व गलत इन्द्राज को हटाने के निर्देश दिये गये है इसलिये इस प्रकरण में भी विवादित भूमि डोली (बनाम) की है जिसका हंस्तातरण नही हो सकता है इसलिये रेफरेंन्स प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नामातंरण संख्या 1003 तथा 1010 दिनांक 28.01.2016 ग्राम पंचायत धणी द्वारा स्वीकृत किया गया को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अति. जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

8. परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रषित कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित डोली की भूमि मौजा ग्राम धणी, तहसील बाली जिला पाली के वर्तमान खसरा नंबर 639 रकबा 5.32 हैक्टर, खसरा नंबर 940 रकबा 1.44 हैक्टर, खसरा नंबर 941 रकबा 2.15 हैक्टर, खसरा नंबर 942 रकबा 2.20 हैक्टर, खसरा नंबर 943 रकबा 1.13 हैक्टर, खसरा नंबर 944 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नंबर 1080 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नंबर 1082 रकबा 1.07 हैक्टर, खसरा नंबर 1083 रकबा 0.36 हैक्टर, किस्म नहरी अव्वल कुल रकबा 14.46 हैक्टर है। जिसका इन्द्राज राजस्व रेकर्ड संवत् 2009 एवं 2018 से 2021 में दर्ज है तथा जमांबदी संवत् 2022 से 2025 में दर्ज है जिसके पुराना खसरा नंबर 735, 736, 737, 649, 650, 793, 340, 343, 344, 345, 346 रहे है के संबंध में ग्राम पंचायत धणी द्वारा स्वीकृत किये गये नामांतरकरण संख्या 1003 तथा 1010 को निरस्त करावें तथा उक्त कृषि भूमि को डोली (बनाम) के नाम दर्ज करवाने का आदेश प्रदान करावें।

अति. जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

यह आदेश आज दिनांक 02-09-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)